प्रेस नोट
दिनांक 09.10.19 थाना भोजीपुरा जनपद बरेली

अभियोग का विवरण- आज दिनांक 09.10.19 को उ0नि0 अशोक कुमार, का0 1879 मोहित दाँगी, का0 1625 रवि गौतम व म0का0 2437 मालती थाना हाजा से रवाना होकर क्षेत्र में चैकिंग संदिग्ध वाहन व व्यक्ति में मामूर थे जरिये मुखबिर सूचना मिली की कंचनपुर में रेशमा के घर पर कच्ची शराब की तीव्रता बढाने के लिये कच्ची शराब में यूरिया का अपमिश्रण किया जा रहा है जिस सूचना पर उ0नि0 अशोक कुमार मय टीम के कंचनपुर पहुँचे जहाँ अभियुक्त सुरेश पुत्र डालचन्द्र नि0 रफियाबाद थाना किला बरेली 2.रेशमा पत्नी अनिल नि0 कंचनपुर थाना भोजीपुरा बरेली 3. गीता पत्नी स्व0 राजेश नि0 कंचनपुर थाना भोजीपुरा बरेली को कच्ची शराब की तीव्रता बढाने के लिये कच्ची शराब में यूरिया का अपमिश्रण करते तथा ले जाने की तैयारी में कुछ जरीकेन टैम्पो मे रखते पाया समय करीब 10.45 बजे अभियुक्त 1. सुरेश 2.रेशमा उपरोक्त को गिरफ्तार किया गया तथा अभियुक्ता गीता उपरोक्त भागने में सफल रही। अभियुक्त गण जिनके कब्जे से करीब 140 ली0 (4 जरीकेन) व टैम्पो में रखी 50 ली0 (2 जरीकेन) अपमिश्रित कच्ची शराब व 500 ग्राम यूरिया व टैम्पो बरामद हुआ। अभियुक्त गण द्वारा पूछताछ पर बताया गया कि कच्ची शराब में यूरिया मिश्रित कर तीव्रता बढाकर हम इसे गंगापुर बेचने के लिये ले जाने वाले थे।

उक्त के सम्बन्ध मे थाना हाजा पर मु0अ0सं0 530/19 धारा 60(1) आबकारी अधि0 व 272 भादवि पंजीकृत किया गया तथा टैम्पो के कागज प्रस्तुत न करने पर 207 एम0वी0एक्ट में सीज किया गया जिसकी रिपोर्ट श्रीमान जिला मजिस्ट्रेट बरेली महोदय को भेजी जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुरेश पुत्र डालचन्द्र नि0 रफियाबाद थाना किला बरेली
2.रेशमा पत्नी अनिल नि0 कंचनपुर थाना भोजीपुरा बरेली

फरार अभियुक्ता-

गीता पत्नी स्व0 राजेश नि0 कंचनपुर थाना भोजीपुरा बरेली

बरामदगी का विवरण-

1.6 जरीकेन कच्ची अपमिश्रित शराब -190 ली0
2.500 ग्राम यूरिया
3.टैम्पो नं0 यूपी 25 एटी 2138

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली टीम

1.उ0नि0 अशोक कुमार थाना भोजीपुरा बरेली
2.का0 1625 रवि गौतम थाना भोजीपुरा बरेली
3.का0 1879 मोहित दाँगी थाना भोजीपुरा बरेली
4.म0का0 2437 मालती थाना भोजीपुरा बरेली